भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *111

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

सीसीएल (कोल इंडिया) द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा

***111. श्री खीरू महतो:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-343/दिनांक 03.02.2004 के माध्यम से सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया) द्वारा झारखण्ड प्रदेश के रामगढ़ जिले में ग्राम-केदला में लगभग 192.46 हेक्टर या लगभग 475.40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रैयत को उक्त अधिगृहीत जमीन का मुआवजा 22 वर्ष के बाद भी नहीं मिल पाया है जबकि उक्त भूमि को अधिगृहीत किए जाने के बाद से इस भूमि पर सीसीएल (कोल इंडिया) द्वारा कोयला खनन का कार्य किया जा रहा है, और क्या सरकार रैयतों को मुआवजे का भुगतान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u>

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'सीसीएल (कोल इंडिया) द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा' के संबंध में श्री खीरू महतो द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *111 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी हां, यह सच है कि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत और भारत सरकार की दिनांक 05.02.2004 की अधिसूचना सं.-343/ के माध्यम से सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया) ने झारखंड के रामगढ़ जिले के केदला गांव में लगभग 192.46 हेक्टेयर अथवा लगभग 475.40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।

(ख) और (ग) : दिनांक 05.02.2004 के सां.आ.सं. 343 के अनुसार, झारखंड के रामगढ़ जिले के केदला गांव में लगभग 192.46 हेक्टेयर या लगभग 475.40 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 148.95 एकड़ भूमि आरक्षित वन भूमि, 297.85 एकड़ भूमि गैरमजरुआ/जंगल झाड़ी (जीएम/जेजे) है, 10.27 एकड़ भूमि गैरमजरुआ खास (जीएमके), 0.865 एकड़ भूमि गैरमजरुआ आम (जीएमए) और केवल 17.47 एकड़ भूमि काश्तकारी भूमि है।

मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार के प्राधिकरणों से काश्तकार-वार भूमि अनुसूची प्राप्त करने के बाद सीबीए (ए एंड डी), अधिनियम, 1957 के मानदंडों के अनुसार किया जाना है। तथापि, राज्य सरकार के प्राधिकरणों के साथ कई पत्राचार के बावजूद सीसीएल को काश्तकार-वार भूमि अनुसूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस वजह से मुआवजे का भुगतान रुका हुआ है।

******